



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 51

28 अग्रहायण 1940 (श०)

पटना, बुधवार, —————

19 दिसम्बर 2018 (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-9	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	10-10	
पुरक	---	
पुरक-क	---	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं

4 सितम्बर 2018

सं० 318 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1	2	3
1.	श्री महेश शुक्ला, मुंसिफ, लखीसराय (लखीसराय)	लखीसराय

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 4th September 2018

No. 318 A :--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Mahesh Shukla, Munsif, Lakhisarai (Lakhisarai)	Lakhisarai

By order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General .

13 सितम्बर 2018

संख्या 332 नि०:—श्री अशोक कुमार II, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी, (निलंबन के आदेशाधीन) को तत्काल प्रभाव से मधेपुरा स्थानांतरित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 13th September 2018

No. 332 A : Sri Ashok Kumar II, Civil Judge (Senior Division) presently posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M., Madhubani (under orders of suspension) is transferred to Madhepura with immediate effect.

By order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General .

14 सितम्बर 2018

सं० 333 नि०:—दिनांक 22.09.2018 को दलसिंहसराय में स्थापित होने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए श्री राज किशोर पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को दिनांक 22.09.2018 के प्रभाव से दलसिंहसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 14th September 2018

No. 333 A :--Sri Raj Kishore Pandey, Additional District and Sessions Judge, Samastipur is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Dalsingsarai on the establishment of the Court of Additional District and Sessions Judge at Dalsingsarai on 22.09.2018.

**By order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General .**

24 सितम्बर 2018

सं० 379 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर अपर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तम्भ-3 में अंकित अपर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरित किये जाते हैं।
1.	श्री कुमार माधवेन्द्र अपर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सासाराम (रोहतास)	(अ) अपर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना सीटी (स) पटना
2.	श्री देवेश कुमार अपर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नवादा (नवादा)	(अ) अपर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) जमुई (स) जमुई
3.	श्री सुनील दत्त अपर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गया (गया)	(अ) अपर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बिक्रमगंज (स) रोहतास

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 24th September 2018

No. 379 A :--The Judicial officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. (c) Name of the Judgeship/place in which transferred.
1.	2.	3.
1.	Sri Kumar Madhvendra Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sasaram (Rohtas)	a) Sub Judge-cum-ACJM b) Patna City c) Patna
2.	Sri Devesh Kumar Sub Judge-cum-A.C.J.M., Nawada (Nawada)	a) Sub Judge-cum-ACJM b) Jamui c) Jamui
3.	Sri Sunil Dutt Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gaya (Gaya)	a) Sub Judge-cum-ACJM b) Bikramganj c) Rohtas

**By order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General .**

24 सितम्बर 2018

सं0 380 नि0:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे तथा स्तंभ 4 में दी गई श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

तदोपरान्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश को स्तम्भ-5 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ— नये स्थान का पदनाम ब— पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स— जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।	स्थानांतरण की श्रृंखला	जिला एवं सत्र प्रमण्डल का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री आरती कुमारी सिंह, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह- अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्व) (मुजफ्फरपुर)	अ) अवर न्यायाधीश ब) मुजफ्फरपुर स) मुजफ्फरपुर	सेवानिवृत्त श्री हरि प्रसाद के स्थान पर	मुजफ्फरपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 24th September 2018

No. 380 A :--The Judicial officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge, Senior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Subordinate Judge in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in Column No. 3 and in the chain specified in Column No. 4 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the High Court are pleased to confer upon the Civil Judges (Senior Division) named in column no. 2 of the table, the powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against her name in column no. 5 of the table.

Furthermore, in exercise of the powers conferred under Sub Section (1) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officer is also appointed as Chief Judicial Magistrate for the District noted against her name in column no. 5 of the table and in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 9 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are also pleased to appoint the Judicial Officer named in column-2 of the table as Assistant Sessions Judge for the Session Division noted against her names in column-5 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting (with Judgeship)	(d) Designation at the new station/ place (e) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (f) Name of the Judgeship in which posted.	Chain of transfer	Name of the District and Sessions Division
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sri Arti Kumari Singh, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (East) (Muzaffarpur)	a) Sub Judge b) Muzaffarpur c) Muzaffarpur	Vice Sri Hari Prasad since retired	Muzaffarpur

**By order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General .**

24 सितम्बर 2018

सं० 381 नि०:—सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जो इस रूप में कम-से-कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो व्यवहार न्यायालय में आगामी दुर्गापूजा अवकाश में कार्यरत रहेंगे उन्हें उस अवधि के लिए इसके द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 (47-1964) द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उनके अपने-अपने जिलों/अनुमंडलों में उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन बने किसी ऐसे आदेश जिसे राजपत्र अधिसूचित आदेश द्वारा उस संबंध में उल्लेखित है, के उल्लंघन के संबंध में हुए अपराधों के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 260(1) (सी) के अधीन संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियाँ अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 24th September 2018

No. 381 A :--All the Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate and Judicial Magistrate, 1st Class who have completed at least three year of service as such and who are detained during ensuing Civil Court's Durga Puja Vacation are hereby vested temporarily, for this period only, with the powers u/s 260(1)(c) of the code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) for the summary trial of offences arising generally within their respective Districts/Sub-Divisions relating to the contravention of

any order made under sections 3 of the Essential commodities Act as amended by Essential Commodities (Amendment) Act 1964 (no. 47 of 1964) and duly notified in the official Gazette as laid down in section 12A of the Essential Commodities Act 1955.

**By order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General .**

25 सितम्बर 2018

सं० 382 नि०:—बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 7/स्था०-1-4-04/2011 सा०प्र० 7119 दिनांक 30.05.2018 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II में उल्लिखित व्यक्तियों को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान न्यायमंडल सहित
I	II	III
1.	समीर कुमार	बेतिया (प० चम्पारण)

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 25th September 2018

No. 382 A :--The person named in column no. II of the table given below who has been appointed on probation as Civil Judge (Junior Division) under the Government of Bihar, General Administration Department, Patna notification no. 7/Stha-1-4-04/2011 Sa. Pra. 7119 dated 30.05.2018 are posted as temporary Civil Judge (Junior Division) at the station and in the Judgeship mentioned in column no. III of the table against his name.

Sl. No.	Name of Officer	Place of posting and Judgeship
I	II	III
1.	Sri Sameer Kumar	Bettiah (West Champaran)

**By order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General .**

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर 2018

सं० ई२-2-40/2015-59—बिहार सेवा संहिता के नियम 56, 68, 69 एवं 70 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित होने के पश्चात् शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०- 2096 दिनांक 23.11.2018 द्वारा बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) मूल कोटि के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप मो० जमाल मुस्तफा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु०), निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) मूल कोटि के पद पर योगदान करने हेतु अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय), निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद से दिनांक 12.12.2018 के अपराह्न से विरमित किया जाता है। मो० जमाल मुस्तफा को विरमन की तिथि से 3 वर्ष पूर्ण होने अथवा नये पद पर संपुष्ट होने (जो भी पहले हो) तक की अवधि के लिए अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर गहनाधिकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश से,
विवेका नन्द झा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

वाणिज्य-कर विभाग

**अधिसूचनाएं
14 दिसम्बर 2018**

सं० 6/प०प०-30-04/2013-7114/वा०कर-निगरानी शाखा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-353/सी, दिनांक 14.12.2018 द्वारा श्री शशि कान्त चतुर्वेदी, तत्कालीन राज्य-कर उपायुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया को निलम्बित किए जाने के फलस्वरूप श्री रवि रंजन आलोक, राज्य-कर उपायुक्त, दानापुर अंचल, दानापुर को अगले आदेश तक खगड़िया अंचल, खगड़िया में राज्य-कर उपायुक्त (प्रभारी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप-सचिव।

14 दिसम्बर 2018

आदेश सं० कौन/भी-401/2018-353/सी०-बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी श्री शशिकान्त चतुर्वेदी, राज्य कर उपायुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक 10.10.2018 को परिवादी श्री राहुल कुमार से रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये जाने के उपरान्त श्री चतुर्वेदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी-II, पटना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय निगरानी न्यायालय के आदेशानुसार श्री चतुर्वेदी को न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना भेज दिया गया है।

उक्त आरोप के फलस्वरूप निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा श्री चतुर्वेदी के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-045/2018, दिनांक 10.10.18, धारा-7 (a) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किया गया है।

श्री शशिकान्त चतुर्वेदी, राज्य कर उपायुक्त, खगड़िया अंचल खगड़िया द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामला है, जो अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है। साथ ही, श्री चतुर्वेदी को अड़तालिस घंटों से अधिक अवधि के लिए, अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है।

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में श्री शशिकान्त चतुर्वेदी, राज्य कर उपायुक्त, खगड़िया अंचल खगड़िया के विरुद्ध निम्नांकित निर्णय लिया जाता है:-

1. श्री शशिकान्त चतुर्वेदी, राज्य कर उपायुक्त, खगड़िया अंचल खगड़िया सम्प्रति काराधीन (आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2)(क) के प्रावधानानुसार कारा-निरोध की तिथि 10.10.2018 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप-सचिव।

योजना एवं विकास विभाग

**अधिसूचना
7 दिसम्बर 2018**

सं० यो०स्था०4/2-18/2014-6532/यो०वि०-योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, बेतिया (प० चम्पारण) में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता की प्रोन्नति हो जाने तथा कार्य प्रमंडल-02, विक्रमगंज, रोहतास में कार्यरत कार्यपालक अभियंता के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त कार्य प्रमंडलों में कार्यपालक अभियंता के पद रिक्त हो गए हैं।

2. अतः उपर्युक्त के आलोक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन अन्तर्गत पदस्थापित निम्नांकित कार्यपालक अभियंता/तकनीकी सलाहकार का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन से करते हुए कार्यपालक अभियंता के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्य प्रमंडल में अगले आदेश तक के लिए किया जाता है :-

क्र०	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	स्थानांतरित स्थान
1	श्री तुलसी राम, तकनीकी सलाहकार	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल- तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, बेतिया (प० चम्पारण)
2	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव तकनीकी सलाहकार	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल- मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, विक्रमगंज, रोहतास

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश्वर प्रसाद सिंह, अपर सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT**BIHAR, PATNA****FORM No. I**

DECLARATION*The 12th November 2018*

**(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar
Special Courts Rules 2010)**

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-06/2018-4221---WHEREAS, It is alleged that **Sri Bikram Kumar Jha the then District Co-operative Officer, Nawada, S/o Sri Birendra Nath Jha, Address - (i) Flat No. 15/520, L.I.G. Hanuman Nagar, P.S. - Patrakar Nagar, District-Patna, Pin-800020 (ii) House No. - C/36, Vijay Nagar, Road No.-02, P.S. - Patrakar Nagar, District-Patna, Pin-800020 & (iii) Meena Kunj, Jaiprakash Colony, Madhubani Chowk, P.S. - Khajanchi Hat, District-Purnia, Pin - 854301** while holding the post of **Sri Bikram Kumar Jha the then District Co-operative Officer, Nawada** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 86/2016 dated 05-09-2016.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Bikram Kumar Jha the then District Co-operative Officer, Nawada, S/o Sri Birendra Nath Jha, Address - (i) Flat No. 15/520, L.I.G. Hanuman Nagar, P.S. - Patrakar Nagar, District-Patna, Pin-800020 (ii) House No. - C/36, Vijay Nagar, Road No.-02, P.S. - Patrakar Nagar, District-Patna, Pin-800020 & (iii) Meena Kunj, Jaiprakash Colony, Madhubani Chowk, P.S. - Khajanchi Hat, District-Purnia, Pin - 854301** while holding the post of **Sri Bikram Kumar Jha the then District Co-operative Officer, Nawada** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar
Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

**VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I**

DECLARATION

The 22nd November 2018

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-03/2017-4299--WHEREAS, It is alleged that **Sri Barun Kumar Sikdar the then Deputy Commissioner, Commercial Taxes, Bihar Sharif, Nalanda, S/o Late Ravindra Nath Sikdar, Address - At P.S. - Jainagar, Distt. - Madhubani at Present 2A, Sugandha Villa, Road No. 10B, Rajendra Nagar, Patna** while holding the post of **Sri Barun Kumar Sikdar the then Deputy Commissioner, Commercial Taxes, Bihar Sharif, Nalanda** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 02/2016 (SVU) dated 17-12-2016.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Barun Kumar Sikdar the then Deputy Commissioner, Commercial Taxes, Bihar Sharif, Nalanda, S/o Late Ravindra Nath Sikdar, Address - At P.S. - Jainagar, Distt. - Madhubani at Present 2A, Sugandha Villa, Road No. 10B, Rajendra Nagar, Patna** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar
Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 39-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सं० 1722---मैं केशव कुमार, पिता कौशल किशोर शर्मा, पता-आजाद कॉलोनी, रोड नं० - 02, माडीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन-842001, शपथ-पत्र सं० 01, दिनांक 27.08.2018 से केशव किशोर कश्यप के नाम से जाना जाऊंगा।

केशव कुमार।

No. 1722---I **Keshav Kumar, S/o Kaushal Kishore Sharma** At - Azad Colony Road No. 2 Maripur, Muzaffarpur, Bihar 842001 affidavit No. : **01** dated 27.08.2018 will be known as Keshav Kishore Kashyap.

Keshav Kumar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 39-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>